

अति-आवश्यक



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O)

E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F4 () PRD/ DP/ GPDP/ 2019-20/ 934


जयपुर, दिनांक: 7/9/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- समस्त।

विषय:—People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP) - October 2 to December 31, 2018 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सहजकर्ता (Facilitator) नियुक्त करने के संबंध में।


संदर्भ:—अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का अ.शा. पत्र क्रमांक 3/AS(BP)/MoPR-2018 दिनांक 30.08.2018 एवं महानिदेशक, NIRD हैदराबाद का पत्र दिनांक 29.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP) - October 2 to December 31, 2018 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर community resource person(CRP) को सहजकर्ता (Facilitator) नियुक्त किया जावे यदि किसी ग्राम पंचायत स्तर पर community resource person(CRP) उपलब्ध नहीं है तो ग्राम रोजगार सहायक (Gram Rojgar Sewak) को सहजकर्ता (Facilitator) नियुक्त किया जावे। इस संबंध में संबंधित विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें एवं प्रगति से विभाग को अवगत करावें।


प्रमुख शासन सचिव
ग्रा.वि.एवं पं.रा.विभाग।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार 214, द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ-समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- समस्त।


संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)